उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक
विकास प्राधिकरण

UPSIDA

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स
A-1/4ए लखनपुर
कानपुर – 208024
दूरभाष : 0512- 582851-53
फैक्स : 0512-2580797
वेबसाइट: www.upsidc.com
CIN-U26961SGC002834

सन्दर्भ संख्या /सीडा/एटीपी दिनांक

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण द्वारा विकसित औद्योगिक विकास क्षेत्रों (औद्योगिक क्षेत्रों) में भूखण्डों के संविलियन एवं उप–विभाजन सम्बन्धी प्रकिया के सरलीकरण हेतु प्रस्ताव यूपीसीडा की दिनांक 26.11.2019 को सम्पन्न 34वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा में प्रस्तुत प्रस्ताव के विकल्प–2 पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।

बोर्ड के निर्णयानुसार प्राधिकरण द्वारा संविलियन तथा उप–विभाजन सम्बन्धी प्रकिया के सम्बन्ध में पूर्व में जारी कार्यालय आदेश संख्या 379–385/एसआईडीसी/एटीपी/कार्यालय आदेश दिनांक 27.07.2018 के प्रस्तर–क (1) तथा ख (3) में सक्षम अधिकारी/प्रबन्ध निदेशक, यूपीएसआईडीसी द्वारा अनुमोदित तलपट मानचित्र की उपलब्धता सम्बन्धी शर्तो को अनुमोदित तलपट मानचित्र उपलब्ध न होने के दशा में संविलियन/उप–विभाजन सम्बन्धी प्रकरणों पर निस्तारण के सम्बन्ध में निम्न शर्तो के साथ संशोधित किया जाता है कि :–

1. यूपीसीडा की बेवसाइट पर अपलोडेड तलपट मानचित्रों में दर्शाये गये सिर्फ औद्योगिक भूखण्डों पर ही उक्त शिथिलिकरण अनुमन्य होगा।

2. संविलियन/उप–विभाजन से सम्बन्धित प्रस्ताव पर जिसमें सक्षम स्तर से अनुमोदित/हस्ताक्षरित तलपट मानचित्र उपलब्ध नही है, सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं अधिशाषी अभियन्ता इस आशय की संयुक्त आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगे कि प्रश्नगत भूखण्डों में आच्छादित भूमि प्राधिकरण निगम के पक्ष में पूर्णतः अधिग्रहीत/पुर्नग्रहीत है एवं प्राधिकरण को इस भूमि का विधिक कब्जा प्राप्त है तथा प्रस्तावित भूखण्ड विवाद रहित, एवं प्रस्तावित भूखण्डों को किसी प्रकार के भू–उपयोग परिवर्तन/प्रयोग के उपरान्त सृजित नही किये है।

3. मुख्यालय द्वारा संविलियन/उप–विभाजन सम्बन्धी अनुमोदन का सम्बन्ध मात्र प्रश्नगत भूखण्डों का संविलियन/उप–विभाजन तक सीमित रहेगा तथा सम्बन्धित औ0क्षेत्र के तलपट मानचित्र के स्वरूप, किसी अनाधिकृत रूप में हुए किसी भी विचलन, किसी अनाधिकृत भू–उपयोग परिवर्तन को मान्यता प्रदान नही करेगा।

Scanned with CamScanner

उक्त आदेश का अनुपालन करते हुए सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित/ अनुमोदित तलपट मानचित्र के अभाव के कारण लम्बित समस्त संविलियन/ उप–विभाजन के प्रस्तावों पर आदेश निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर संयुक्त आख्या मुख्यालय भेजने की कार्यवाही सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक व सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता (सिविल) द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। इस आदेश का भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित करना सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक का दायित्व होगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते है।

(अनिल गर्ग)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

दिनांकः 14-01-2020

पृ0 सं0 1240 /यूपीसीडा/एटीपी

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. वैयक्तिक सहायक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
2. वैयक्तिक सहायक, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
3. महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण), यूपीसीडा, कानपुर।
4. उप महाप्रबन्धक (औ0क्षेत्र),यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
5. वरि0 प्रबन्धक (हाउसिंग),यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
6. प्रभारी–औ0क्षेत्र, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
7. सहायक महाप्रबन्धक, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
8. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता (सिविल) यूपीसीडा, को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. सहायक प्रबन्धक (एटीपी), यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
10. गार्ड फाइल।

(अनिल गर्ग) 11.1.2020
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Scanned with CamScanner